

22.10.2024:—पत्रावली आज पेशी मे ली गई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहते हुए। वादी वकील श्री सुखपाल सिंह द्वारा NO PRESS अंकन किया। वादी वकील के NO PRESS करने पर वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमीत दाखिल दफतर हो।

  
सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

